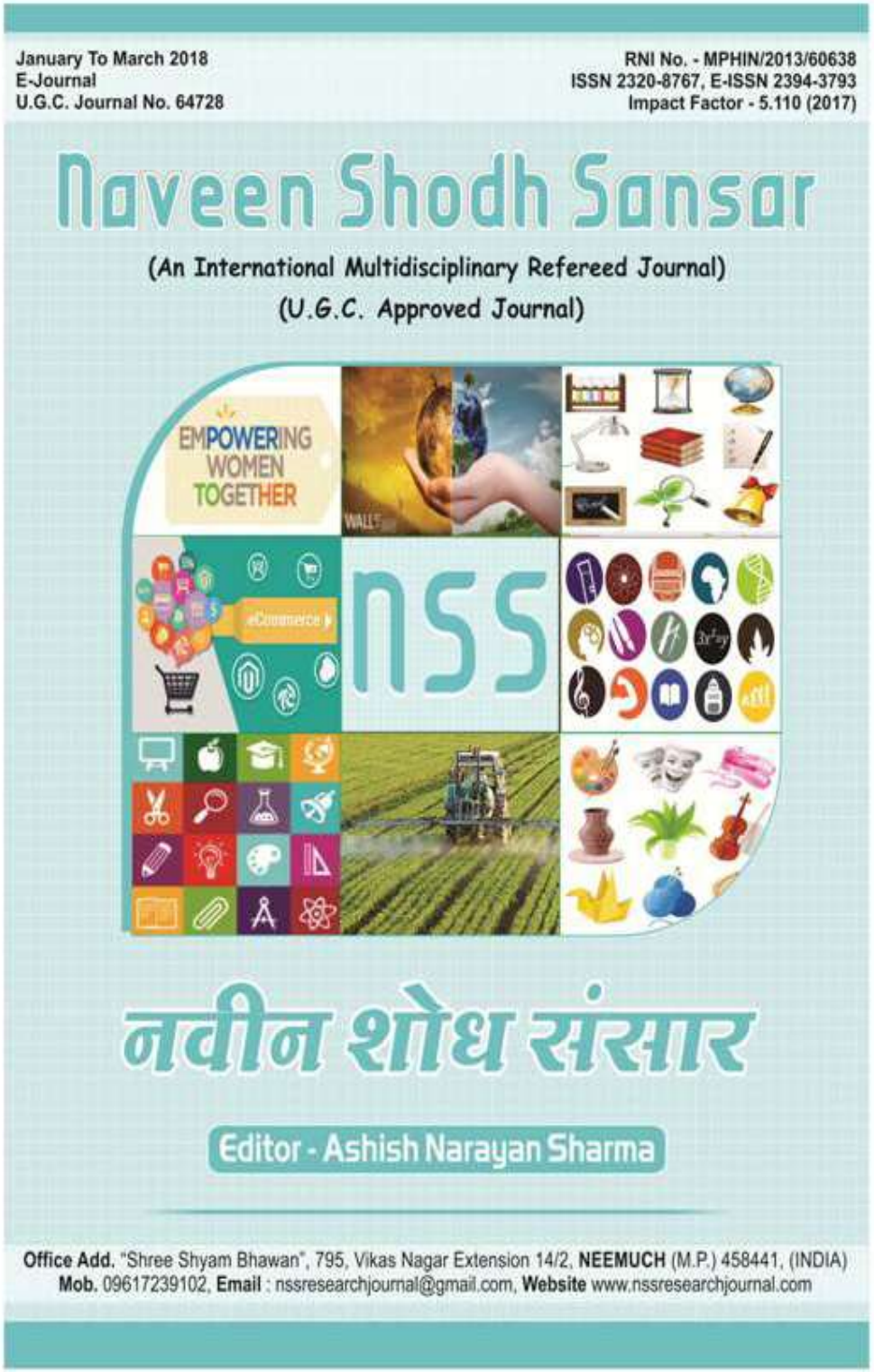
January To March 2018
E-Journal
U.G.C. Journal No. 64728
RNI No. - MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.110 (2017)
Naveen Shodh Sansar
(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
(U.G.C. Approved Journal)
EMPOWERING WOMEN TOGETHER
NSS
नवीन शोध संसार
Editor - Ashish Narayan Sharma
Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018 E-Journal

154. भीमल रेशों द्वारा धागों का निर्माण कर उत्तराखण्ड के घरेलू उद्योगों के लिए एक योगदान (गुँजा सोनी) 447
155. Career Lattice Model - A Meaningful link between pre-service, in-service, and continuing education (Dr. Premlata Gandhi) 450
156. पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का अध्ययन (रेखा दाधीच, डॉ. अनिता कोठारी) 453
157. Robo Tutor- A Research on Future of Teaching (Dr. Premlata Gandhi) 455
158. A Study on Financial Performance of Stock Exchange in India (Chanda Parmar) 459
159. Analyzing Impact Of Online Social Platform On Internet Buying Behavior (Dr. Ganpat Joshi) 463
160. Practises for Building Quality Software with Automation: A Practical Approach (Vikas Kumar Choudhary, Dr. Sanjay Chaudhary) 466
161. बदलते परिदृश्य में अभिजात महिलाओं की स्थिति की भूमिका (डॉ. रोमा श्रीवास्तव) 469
162. महेश्वर हथ करघा उद्यमियों में योगासन के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना (प्रतिष्ठा दासौधी, डॉ. मंजु शर्मा) ... 471
163. मध्यप्रदेश में आदिवासी जनजातियों द्वारा वनोषधियों का संग्रहण के आर्थिक महत्त्व तथा संभावनाओं का भौगोलिक अध्ययन (डॉ. सुमनलता पुरोहित, मिताली पॉल) 473
164. मध्यप्रदेश में सूचना का अधिकार का क्रियान्वयन : एक समीक्षा (डॉ. ओम प्रकाश परमार) 476
165. A Study on Green Initiative Product of FMCG Companies (Mrs. Usha Sharma, Dr. Deepak Singh)..... 478
166. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन (2004-2005) एक विश्लेषणात्मक विवेचन (डॉ. अमृतलाल परमार) 481
167. Influence of Period of Investment on the Investment Decision Factors (Mradul Panthi) 484
168. Customer Satisfaction In Online Banking Services - An Over View (Suman Gunjetia, Dr. Payal Sachdev) 487
169. Issues And Challenges Related To Pedagogical Strategies For Inclusive Education (Dr. Monisha Mishra, Alka Asati) 490
170. मध्यप्रदेश के निमाड़ में पर्यटन उद्योग की समस्याएँ और समाधान (डॉ. सुनील मोरे) 494
171. जनजातीय विकास का भौगोलिक अध्ययन (संदीप कुमार सिंह, डॉ. सुमन सिंह) 496
172. Planning and Control System in Banks in India : Some Aspects (Dr. Sushma Maheshwari) 498
173. भारिया जनजाति पर वैश्वीकरण का प्रभाव (डॉ. पूजा तिवारी) 506
174. डॉ. भीमराव अम्बेडकर का राजनैतिक चिन्तन (डॉ. नवीन कुमार, पुष्पा साकेत) 508
175. महिला सशक्तिकरण एक विधिक अध्ययन (राकेश कुमार चौरासे) 510
176. महिलाओं के उत्थान हेतु राष्ट्रीय कानूनों का एक विधिक अध्ययन (कमलेश मौर्य) 512

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018 E-Journal
512

महिलाओं के उत्थान हेतु राष्ट्रीय कानूनों का एक विधिक अध्ययन

कमलेश मौर्य *

प्रस्तावना - प्राचीन काल से ही नारी की पूजा होती रही है तथा उसे बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता था तथा उनका समाज में सम्मान जनक स्थान था। उन्हें 'गृहलक्ष्मी' तथा 'गृह मंत्री' जैसे सम्मान जनक शब्दों से सम्बोधित किया जाता रहा है।

'यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते,
रमन्ते तत्र देवताः।'

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं।

भारत एक प्रसिद्ध देश है जो प्राचीन समय से ही अपनी सभ्यता, संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, परम्परा, धर्म और भौगोलिक विशेषताओं के लिये जाना जाता है। लेकिन महिलाओं के सन्दर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण विद्यमान है। क्योंकि सामाजिक रूप में भारत एक पितृसत्तात्मक प्रधान देश है अर्थात समाज में पुरुष की प्रधानता सर्वोपरि मानी गयी है। इस कारण महिलाओं को पुरुष के समकक्ष या समानता से परे देखा जा सकता है। इस कारण प्रारम्भ से ही महिलाएँ उत्पीड़न, शोषण और उपेक्षा की शिकार होती रही हैं एवंउन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित रखा गया है। परन्तु जैसे-जैसे समय बदलता गया महिलाओं में जागरूकता (शिक्षा) बढ़ती गई। वैसे-वैसे उनके अधिकारों में भी परिवर्तन की लहर चल पड़ी एवं पुरूषों के साथ कांधे-से-कांधा मिलाकर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

मूलर बनाम ओरेगन - इस मामले में अमेरिकी न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि 'अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्यकार्य उन्हें दु:खद स्थिति में कर देते है।'

भारत के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ने महिलाओं के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय दिये है एवं महिलाओं को सुरक्षित रखने हेतु समय-समय पर मार्गदर्शक के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया।

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह अतिआवश्यक है कि महिलाओं का सम्मान करें। एवं उन्हें राष्ट्र निर्माण हेतु प्रोत्साहित करें।

महिला उत्थान हेतु राष्ट्रीय कानून । विभिन्न राष्ट्रों में नारी उत्थान हेतु लम्बे समय से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में महिलाओं को न तो उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी है और न ही अन्य विभिन्न कानूनों की इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों का एक विधिक अध्ययन शोध लेख मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत - भारत एक कल्याणकारी राज्य है, भारतीय संविधान न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का सुरक्षा प्रहरी है, अपितु समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक समानता को सुनिश्चित करता है, महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख उपबन्ध किये गये है जो निम्नलिखित हैं :-

अनुच्छेद 14 : यह उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 15 (3) : यह उपबंधित करता है कि कोई बात राज्य को स्त्रीयों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 16 :यह उपबंधित करता है कि राज्य के आधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है।

अनुच्छेद 19 :इस अनुच्छेद के अन्तर्गत यह उपबंधित किया गया है कि महिलाओं को देश के किसी भी भाग में भ्रमण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है एवं यह उनका मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 21 : यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 23 :मानव का दुर्व्यापार एवं बलातश्रम को प्रतिबंधित किया गया है।

अनुच्छेद 25-28 :इन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 29-30 : इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकारों को उपबंधित किया गया है।

अनुच्छेद 32 :यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है।

अनुच्छेद 34: समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 39 : (क) राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्थाओं में 73 वे 74 वे संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था।

अनुच्छेद 41: असमान्य आवश्यकताओं (बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा) में सहायता।

अनुच्छेद 42: प्रसूती सहायता (136 दिनों का अवकाश) हेतु उपबंधित है।

अनुच्छेद 43: पोषाहार एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु सहायता

अनुच्छेद 44: एक समान सिविल संहिता

* शोधार्थी (विधि विभाग) शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018 E-Journal
513

अनुच्छेद 51 (क) (ङ.): स्त्रियों के समान के प्रति मूल कर्तव्य

भारतीय दण्ड संहिता 1860 – भारतीय दण्ड संहिता 1860 में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान। 304-बी दहेज मृत्यु अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्थाएँ की गयी है। धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग, धारा 366 में अपहरण धारा 376 में बलात्कार, धारा 498 क में निर्दयता पूर्ण व्यवहार करना तथा धारा 292 से 294 तक में विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वालों में पर रोग लगा दी गयी है। धारा 493 से 498 में विवाह संबंधी अपराधों के बात में सजा के प्रावधानों की व्यवस्था है।

अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम-2013 – इस अधिनियम में बलात्कार के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इस के लिए आजीवन कारावास की सजा की जा सकती है। एवं अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पहले भी दोषी ठहराये गये या अपराध की पुनरावृत्ति करने पर दोषी ठहराये हुए अपराधी को मृत्यु दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के कारण-पोषण का प्रावधान किया गया है।

पुलिस एक्ट 1965 – किसी भी महिला की गिरफ्तारी की दशा में पुलिस को यह बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस थाना ले जाते समय किसी भी महिला को हथकड़ी नहीं लगाई जायेगी एवं उसे अपने पसंद के किसी भी वकील से परामर्श करने का अधिकार है। एवं गिरफ्तार महिला की तलासी सिर्फ एक महिला अफसर ही ले सकेगी।

निष्कर्ष – भारतीय संविधान में लिंग समानता के स्त्रियों के अधिकार की आधारशिला माना गया है। इस आधार पर उनको, न केवल पुरूषों के समान मतदान का अधिकार दिया गया बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा, व्यवसाय, उत्तराधिकार, व्यापार, घरेलू खानपान यहाँ तक की वैवाहिक जीवन में भी समान अधिकारों का प्रावधान किया गया है। किन्तु संस्कृति में पत्नि को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी शब्द इस बात का द्योतक है कि अपने पति के जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से अधिकारी है। सैद्धान्तिक रूप से तो इस विचार को स्वीकार किया जाता है किन्तु व्यवहारिक रूप से परिवारों में भारतीय नारी की प्रास्थिति अभी भी पर्याप्त रूप से गिरी हुई है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के उत्थान हेतु राष्ट्रीय कानूनों का उचित कार्यान्वयन किया जाना अति आवश्यक है, एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो, साथ ही महिलाओं से उनके अधिकारों के विषय में जागरूकता की जावे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बढ़ता सामाजीक परिवेश – मानचंद खंडेला, 2008, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स. जयपुर, (राजस्थान)
2. महिला अधिकार एवं कानून जागरूकता, प्रावधान एवं उपयोगिता- डॉ. रीता सक्सेना, 2010, रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. भारत का संविधान-डॉ. जय नारायण पाण्डेय, 2008, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी. इलाहाबाद
4. भारतीय दण्ड संहिता 1860-डॉ. बसन्तीलाल बावेल, 2007 सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873 डॉ. बसन्तीलाल बावेल, 2007 सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद

****